...को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

21/7/16 इकुलाय फलीकेन उप./श्रीमान P.O. सहाब [illegible] कार्य में व्यस्त है। आइन्दा [illegible] दिनांक 16/9/16 को उनके समक्ष पेश हो।

रीडर

16/9/16 पत्रा. पेश हुई। वादी वकील ने बताया कि डिक्री की पालना हो चुकी है। अतः पत्रा. फैसल शुदा की जाती है। पत्रा. नत्थी होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दावा सं. 172/16 शीला बनाम नत्थी, नकल आदेशिका दिनांक 28/6/16 से 1/7/16 तक नकल डिक्री दिनांक 1/7/16

172/16

28/6/16 वादी मय वकील हाजिर। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबाना जारी हो। प्रतिवादीगण तलब होकर दिनांक 15.7.16 को पेश हो।

1/7/16 पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 1/7/16 को पेश हो।

नि.अ. नत्थी

सुमन

नि.अ. शीला

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट कोटकासिम में पेश हुई। वादिया व प्रतिवादिया 1 व 2 उपस्थित हुई। वादिया व प्रतिवादिया 1 व 2 ने उपस्थित दोनों पक्षों को सुना गया। वादिया व प्रतिवादिया 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादिया जवाब सहमति पेश किया जो शामिल पत्रा. किया गया। प्रतिवादिया 1 व 2 ने वादिया को उसका हिस्सा रामशरण की आराजियात में 1/4 में 1/3 हिस्से का वादिया को व 2/3 हिस्से का प्रतिवादिया 1 व 2 को खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति राजीनामा पर पेश की गई। वादिया ने ग्राम पंचायत बल्लाना की ओर से जारी रामशरण के वारिसान का सजरा पेश किया। जिसमें वादिया व प्रति. 1 व 2 को रामशरण का वारिस बताया है। मृतक के हिस्से की रहन भूमि का चुकता का नोड्यूज भारतीय स्टेट बैंक कोटकासिम का भी पेश कर वादपत्र से भारतीय स्टेट बैंक कोटकासिम का नाम हटाने का प्रा.पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक शजरा ग्राम पंचायत वादिया मृतक रामशरण की विरासत में 1/3 भाग की हकदार साबित है। रामशरण का ऋण चुकता हो चुका है। वाद पत्र से प्रति.-4 [illegible] का नाम हटाया जाता है। वादिया का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। मुताबिक रिकार्ड व जमाबन्दी खसरा नम्बरान किता 456/574/0.8300, 456/2.4400, 237/0.4600, 248/0.3300 किता चार 4 रकबा 4.0600 हैक्टेयर में वादिया को 1/4 भाग में 1/3 भाग का व प्रतिवादिया 1 व 2 को 1/4 भाग में 2/3 भाग का वाके ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा प्रति. 1 व 2 हुक्म डिक्री नाम दावा से पाबन्द रहेंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

सत्यापित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 6

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी:– बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

शीला ....बनाम...................नत्थी वगैरा

दावा बाबत.......इश्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा 88,89,189 रा0का0अ01955

मुकदमा नम्बर :–172/28.06.2016

निर्णय दिनांक:– 02.07.2016

वादी की ओर से....वादिया मय वकील...की व प्रतिवादी की ओर से....प्रति0 1 व 2 मय वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख....02.07.2016 को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:– मुताबिक राजीनामा वाके ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम की आराजी खसरा नम्बरान हाल 456/574/0.8300, 456/2.4400, 237/0.4600, 248/0.3300 किता 4 रकबा 4.0600 हैक्टेयर मे वादिया शीला पुत्री रामशरण पत्नि सोमवीर जाति गूजर निवासी ग्राम गूजरीवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 हाल आबाद पातूहेडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0 को 1/4 में से 1/3 भाग का व प्रतिवादिया 1 व 2 नत्थी बेवा रामशरण, सुमन पुत्री रामशरण जाति गूजरान निवासीयान ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को 1/4 में से 2/3 भाग का तथा आराजी खसरा नम्बर 457/575/0.7100 हैक्टेयर पर वादिया शीला पुत्री रामशरण पत्नि सोमवीर जाति गूजर निवासी ग्राम गूजरीवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 हाल आबाद पातूहेडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0 को 1/2 में से 1/3 भाग का व प्रतिवादिया 1 व 2 नत्थी बेवा रामशरण, सुमन पुत्री रामशरण जाति गूजरान निवासीयान ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को 1/2 में से 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा प्रति0 1 व 2 हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय डिक्री केम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया व जारी किया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह निर्णय डिक्री आज तारीख...02.07.2016..को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह लिग्री)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहा.कलक्टर,कोटकासिम

कैम्प कोर्ट....कोटकासिम

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी

कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रुपयों पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES

Scanned by CamScanner